

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड्डा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 146 / 2020-21 2017
लेख्य प्रकार - [संकेत/प्र.सं. जमाबंदी]

03/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लघित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के गद्य भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्वयत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सूजन किया गया। अपर सनाहता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एव निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0-03-खा0न0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुसंधान/नेचरा के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदीयों को जांच के क्रम में राजस्व उप नि0 एव अचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

गान	खाता	खेतरा	रकबा	जमाबंदीदार	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कोरवाय	01	-	026 1/2	रघु का राम पति बडमाफूहू	10/3

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वणित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित का संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।

अचल अधिकारी
बरकड्डा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/सं0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलाक में जांच की गई। जमाबंदीदार रघु का राम द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एव सरकारी स्तर पर किये गये बंटोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 10/3 बनाम 5/29/37 को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की अनुमति की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप सनाहता, बरहों को भेजें।

अचल अधिकारी
बरकड्डा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमावदी गवाही जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमावदी के शक का नाम - वीरवादेवी पति चंद्रमाकुमार

2. जमावदी से शकाला मुक्ति का दिनांक - ने ० २५/११

नौजा	थाना सं०	खाला सं०	पंजी सं०	नं०
<u>कोवडा २५/११</u>	<u>९९</u>	<u>०१</u>	-	<u>०२६</u>

3. जमावदी पंजी-II के दिनांक संख्या III पृष्ठ सं०-१०

4. जमावदी किस वर्ष कायम है - २००४-०१

5. खतियान के अनुसार जमावदी मुक्ति का खतियान का नाम - ने ० २५/११

6. किस सक्षम प्राधिकार, पदाधिकारी के आदेश से जमावदी कायम की गई है - फाईलेज नहीं है

7. यदि संदेहास्पद जमावदी जमावदीकरण द्वारा गठित है तो मूल जमावदी संख्या ११ - X

8. मूल जमावदी कायम होने के बाद प्रत्येक वर्ष प्रविधित सादा हुकुमनामा जमावदी निर्धारण / अतिथ भूयदायकता X

9. संदेहास्पद जमावदी की जांच के लिए जमावदीकरण से जो गई मुक्ति का दिनांक ने ० २५/११ दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्त का दिनांक ने ० २५/११ मु-संख्या ११ - पंजी II

10. संदेहास्पद जमावदी से २००४-०१

क० संख्या	लगान सं०	वर्ष
<u>१</u>	<u>३१३२३६२</u>	<u>२००४ - ०१</u>

ने ० २५/११
२०११/१०/१०

संवैध / अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हजारावाग
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम- कोरवा देव / ५० चरमा कुहाड़
 ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणों-

नौजा	थाना नं०	खाता सं०	खसरा सं०	रकबा	खतियाना प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कोरवा देव</u> <u>रुहाड़</u>	<u>९९</u>	<u>६१</u>	<u>-</u>	<u>०.२६</u>	<u>ग/६ ख/११</u>	<u>मल</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप- परत
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है- २००५-०६
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- कोरवा देव / रुहाड़
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।
 6. नानान्तरण/दाखिल -खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी X के नामलों में मूल जमाबन्दी रकब की विवरणों-
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 i) अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा X
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (बाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) X
 iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (बाद सं० के साथ)
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक) X
 9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है-
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - X
 ii) अंचल /अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - X
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - X पंजी
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? X
 11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उनके बाद सरकारों राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं?
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिलड पुझारत पंजी में देखल कबजा अवैध जमाबन्दीदार अथवा X उनके पूर्वजों का नाम अंकित था?
 13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशासा सहित-
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपगत नन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन पंजी ३/६ २५/११ फिलड पुझारत रसीदें निष्पातक कर्मचारी नाम जा व का है !

अध्यक्ष/अंचल स्तर पर भूमि सुधार उपलब्धता अनुमंडल पत्रा० अथवा सनाइता उपायुक्त
 23/11/2004